राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –2305/2011/चित्तौड़गढ़

मैसर्स प्रमोद सिसोदिया
उदयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, उदयपुर।
(ii)उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

अनुपस्थित। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 23.02.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **21.10.2011** के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के तहत् प्रस्तुत की है, **जो प्रकरण संख्या–81/2010–11/कर/उपा(प्र)उदय/** के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा–34 के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र को ''सक्षम अधिकारी'' द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, उदयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष **2006– 07 का** एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनाक **19.03.2009,** पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तत्कालीन उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे ''उपायुक्त'' कहा जायेगा) के समक्ष अधिनियमअ की धारा 34 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 को निरस्त कर, पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जरिये आदेश दिनांक 29.06.2010 के स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का उचित प्रदान करने हेतु निर्धारण अधिकारी को आलोच्य अवधि को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उपायुक्त द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किया

लगातार.....2

गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2006–07 का निर्धारण आदेश दिनाक 13.09.2010 पारित कर, रू.56,276/– सृजित की गयी थी, के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या–2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 21.10.2011 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं है । अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की सुनवायी हेत समय–समय पर नोटिसेज जारी किये गये, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुआ । इस संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध आदेशिक से स्पष्ट है कि नियत सुनवायी तिथि दिनांक 28.10.2013, 20.12.2013, 03.02.2014, 03.03.2014, 04.04.2014, 26.05.2014 को भी अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से नियत सुनवायी तिथि को कोई उपस्थित नहीं हुआ । तद्उपरांत अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी रजिस्टर्ड ए.डी क्रमांक 12610/29.05.2014 के दिनांक 11.09.2014 के जारी किया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु उक्त नियत तिथि को भी अपीलार्थी व्यवहारी अनुपस्थित रहा। दिनांक 11.09.2014 को न्यायिक कार्य अभिभाषकगण द्वारा स्थगित रखे जाने पर, सुनवायी हेतु नियत तिथि दिनांक 05.12.2014 को पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हुयी। हस्तगत प्रकरण की उक्त तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे "नियम" कहा जायेगा) के नियम 33(1) का अध्ययन किया जाना न्यायसंगत होगा जो इस प्रकार है:–

लगातार.....3

नियम 33(1).— Where an appellant or his authorized representative does not appear on the date fixed for hearing of an appeal filed under rule 30 or 31, the appellate authority or the Tax Board, as the case may be, may dismiss the appeal in default.

7. उक्त नियम में स्पष्ट प्रावधाति है कि यदि व्यवहारी सुनवायी हेतु निर्धा तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो अपीलीय अधिकारी/कर बोर्ड को प्रस्तु अपील को अदम हाजिरी खारिज करने की अधिकारिता है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु समुचित एवम् युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये गये हैं परन्तु अपीलार्थी अथवा उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये । अतः ऐसा प्रतीत होता है अपीलार्थी प्रस्तुत अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं । अतः प्रस्तुत अपील अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है ।

8. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

23.7.2015

(मदन लाल)
सदस्य